<u>कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)</u>

//विनिष्टीकरण रद्दी विक्रय हेतु निविदा आमंत्रण सूचना//

क्रमांकः– 120 उज्जैन,दिनांक–12/11/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक reg(IT)(SA)2025/630, दिनांक 16.04.2025 एवं reg(IT)(SA)2025/1778, दिनांक 28.10.2025 के आलोक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, उज्जैन म0प्र0 में विनिष्टीकृत रद्दी को विक्रय करने के लिए इस कार्यालय के रिकार्डरूम की विनिष्टीकृत रद्दी के टुकड़े कराकर विक्रय करने के लिए निविदायें अंतिम तिथि दिनांक 05/12/2025 समय शाम 05.00 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन संलग्न निविदा फर्म पर सीलबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक/हमदस्त (पता–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय उज्जैन म.प्र.) से आमंत्रित किए जाते हैं।

निविदाएं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के नाम से प्रस्तुत की जावे। नियत दिनांक एवं समय के पश्चात व्यक्तिगत अथवा किसी भी प्रकार से प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। यदि निविदा प्रस्तुति की अंतिम तिथि अथवा निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्यदिवस पर निर्मित समिति द्वारा निविदाकर्ता/प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की शर्तें एवं फार्म माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in, जिला न्यायालय उज्जैन की बेबसाईट ujjain.dcourts.gov.in पर उपलब्ध है जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्तें डाउनलोड की जा सकती हैं। अथवा फार्म नजारत अनुविभाग,जिला एवं स़त्र न्यायालय उज्जैन से कार्यदिवस के दौरान कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है।

<u>निविदा की शर्तें</u>

1. कार्यालयीन समय में विनिष्टीकृत रद्दी के टुकड़े करके विक्रय हेतु इच्छुक फर्म (निविदा सलंग्न) निविदा प्रारूप रूपये **1000/–रूपये ऑनलाईन चालान, शीर्ष(हेड)–0070–01–800–9691 के माध्यम से जमा** कर इसकी पूर्ति कर सीलबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक/हमदस्त (पता– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय उज्जैन म.प्र.) के माध्यम से दिनांक. 05/12/2025 शाम 05.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा।
2. वर्तमान में विनिष्टीकृत रद्दी की मात्रा लगभग 10 क्विंटल है। निविदाकर्ता द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय उज्जैन म0प्र0 के **अभिलेखागार अनुविभाग** में उपस्थित होकर रद्दी का अवलोकन किसी भी कार्यदिवस के कार्यालयीन समय में कर सकते हैं।
3. निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय उज्जैन म.प्र. के **नजारत अनुविभाग में रूपये 5000/–अर्नेस्ट मनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय उज्जैन** नाम से बैंक ड्राफ्ट से जमा करानी होगी, प्राथमिकता वाले चयनित निविदाओं को छोडकर शेष निविदाकाओं की अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जावेगी।
4. सफल निविदाकार के द्वारा संपूर्ण राशि जमा कराने पर शेष असफल निविदा की राशि को वापस कर दी जावेगी।
5. सफल निविदाकर्ता को रद्दी उठाने से पहले अनुमानित राशि का 80 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा चालान के माध्यम से इस कार्यालय के नजारत अनुविभाग

में जमा करनी होगी।

6. इलेक्ट्रानिक तौल कांटे की रसीद अनुसार शेष राशि तत्काल चालान के माध्यम से जमा करनी होगी।

7. विनिष्टीकृत रद्दी की पूर्व दर राशि रूपये 2300/–रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है, इस हेतु उक्त राशि से कम राशि की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। अधिकतम दर की निविदा को एल–1 घोषित की जावेगी।

8. दिनांक 08/12/2025 को शाम 05 बजे गठित प्रशासकीय समिति उज्जैन के समक्ष समस्त निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधि को आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा, ताकि सभी निविदायें समक्ष में खोली जाकर अंतिम रूप से अधिकतम दर वाली समक्ष निविदाकार की निविदा स्वीकार करने की कार्यवाही की जावेगी।

9. प्रशासकीय समिति उज्जैन द्वारा निविदा की प्रथम, द्वितीय, तृतीय वरीयता प्राप्त निविदायें खोली जाकर अंतिम रूप से उचित दर वाली सक्षम निविदाकार की निविदा स्वीकार करने की अनुशंसा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय उज्जैन को प्रेषित की जावेगी तथा अनुमोदन उपरांत 10 कार्यदिवस में विनिष्टीकृत रद्दी क्रय कर न ले जाने पर प्रथम वरीयता प्राप्त निविदाकार का अवसर समाप्त कर अर्नेस्ट मनी राजसात करते हुए द्वितीय वरीयता प्राप्त तथा इसी क्रम में असफल रहने पर पुनः अर्नेस्ट मनी राजसात करते हुए तृतीय वरीयता प्राप्त निविदाकार को निविदाकार को विनिष्टीकृत रद्दी क्रय कर कर ले जाने का अवसर प्रदान किया जावेगा।

10. विनिष्टीकृत रद्दी को कार्यालय समय में टुकड़े कर रद्दी प्राप्त कर समूची रद्दी बोरे में भरकर इलेक्ट्रोनिक तौल अनुसार देय विक्रय मूल जमा करने का तत्काल उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा, विनिष्टीकृत रद्दी विक्रय होने व संपूर्ण राशि जमा पश्चात् शेष द्वितीय एवं तृतीय वरीयता प्राप्त निविदाओं के निविदाकारों की अर्नेस्ट मनी वापिस की जावेगी।

11. स्वीकृत निविदाकार द्वारा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर अर्नेस्ट मनी शासनहित में राजसात की जाकर कोषालय में जमा करा दी जावेगी।

12. प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।

13. नियंत्रणाधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होंगे।

14. सफल निविदाकार द्वारा रद्दी उठाने के 07 दिवस में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्राप्त रद्दी को रिसाईकल कर दिया है व इसका दुरूपयोग नहीं किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निविदाकार की अर्नेस्ट मनी वापस की जावेगी।

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय उज्जैन

OPEN TENDER PROFORMA FOR WASTE PAPER DISOPOSAL

1. Name..

2. Firm name..

3. Address..

4. Rate Quotation of the Tenderer...

5- Earnest money Rs. 5,000/- (Five Thousand only) of
   Bank name ....Date.........................../Mptc
   Reciept No....................................... Date..........................

6. PAN No..Enclose copy of current Income
   Tax return.

7. GST No...................................Enclose copy of live registration.
   (If registered)

8. Previous Experience of Govt. waste paper disposal.(Attatch copy of order)

The terms and condition of the tender dt........................are acceptable to me/us.

Signature...

Name & address with Seal & Date................

....

....

Phone(0) ....

Fax ....

(M) ....

E-mail ....